

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

शंकर लाल

बनाम

शंकर

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 97/2024

-:आदेश :-

दिनांक :-

15/7/2024

प्रार्थी शंकर लाल

पुत्र श्री

शंकराफ

जाति पटेल निवासी बिलाड़ा नक 4 तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम
दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा
को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें
तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम बिलाड़ा नक 4
जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं. 116/ में दर्ज अशुद्ध
नाम शंकराफ पुत्र शंकराफ जाति पटेल बिलाड़ा
निवासी बिलाड़ा नक 4 का शुद्ध नाम शंकर लाल
पुत्र शंकराफ जाति पटेल निवासी बिलाड़ा नक 4 की राजस्व रेकॉर्ड
में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

15/7/2024
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा